संख्या4/318बीपी/35-1-2014-2/1(26)/14

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,]

उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या- 44बीपी/35-1-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष कृषि विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित परियोजनाओं की उनके सामनें इंगित लागत के अनुसार कुल लागत रू. 131.72 करोड़ के सापेक्ष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंश रू. 87.91 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 8.61 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 0.62 करोड़ की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई । वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 199 बीपी/ 35-1-2014 दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं हेतु पूर्व में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 11.47 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। एतद्द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा इंगित अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरूप रू. 15.33 करोड़(पन्द्रह करोड़ तैंतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://sansanadesh.up.nic.in

(करोड़ रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत				2014-15			अवमुक्त की जा रही धनराशि
		कुल	कुल में			कुल आवश्यकता	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की मॉग	
			ए.सी.ए.	राज्यांश	लाभार्थी अंश				
1	चेकडैम का निर्माण	44.10	44.10	0.00	0.00	22.05	7.28	14.77	14.77
2	स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली	87.62	43.81	23.86	19.95	4.75	4.19	0.56	0.56
	योग	131.72	87.91	23.86	19.95	26.80	11.47	15.33	15.33

1 सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2 इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3 लाभार्थी अंश के रूप में अपेक्षित धनराशि विभाग द्वारा समन्वय करते हुए जुटाई जायेगी।

4 राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5 स्वीक़त धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

5 स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-2457 /दस- 2014-231 / 2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या- 318 बीपी (1) /35-1-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3 प्रमुख सचिव, कृषि विभाग।
4 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5 निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6 मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7 जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8 मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9 कोषाधिकारी, झांसी /ललितपुर/ जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9 गार्ड फाईल ।
10 वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
11 जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन /हमीरपुर/बांदा / महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या 318 बीपी/35-1-2014, दिनांक दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

(हजार रू. में)

मद	अवमुक्त धनराशि	लेखाशीर्ष
स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली	5600	लेखाशीर्ष -2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़ेक्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-16-स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का वितरण- 27-सब्सिडी
चेकडैम का निर्माण	147700	लेखाशीर्ष -4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगत-02-पिछड़ेक्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-83-चेकडैमों का निर्माण-24-वृहद् निर्माण कार्य
योग	153300 (रूपये पन्द्रह करोड़ तैंतीस लाख मात्र)	

http://shasanadesh.up.nic.in